9230
15/12/2017

तत्काल
महत्वपूर्ण

फा.सं. 13035-20/2017-रा.भा.ए.
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 13 नवंबर, 2017

परिपत्र

विषयः- माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा कार्यालयों का राजभाषाई निरीक्षण।

****

माननीय संसदीय राजभाषा समिति ने अक्तूबर 2017 में इस मंत्रालय के दोनों विभागों के अंतर्गत आने वाले कुछ उच्च शिक्षण संस्थानों/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा शैक्षिक संस्थानों का राजभाषाई निरीक्षण किया था। समिति ने निरीक्षण किए जाने वाले कार्यालयों द्वारा प्रश्नावली में प्रस्तुत की गई सूचना पर गंभीर असंतोष व्यक्त किया। समिति ने पाया कि उन्हें प्रस्तुत की गई सूचना तथ्यपरक एवं तर्कसंगत नहीं है। समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान की गई ऐसी टिप्पणियों से न केवल संबंधित कार्यालय के बल्कि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भी प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ता है।

संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षणों, राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन तथा समिति के नौंवे प्रतिवेदन पर महामहिम राष्ट्रपति के आदेशों के संबंध में इस मंत्रालय के सचिव स्तर से दिनांक 19 जुलाई, 2011 के परिपत्र संख्या 13035-12/2011-रा.भा.ए., दिनांक 18 सितंबर, 2015 के परिपत्र संख्या 15010-2/2014-रा.भा.ए. तथा दिनांक 20 मार्च, 2017 के परिपत्र संख्या 13034-1/2015-रा.भा.ए. तथा 8 जून, 2017 के परिपत्र संख्या 13035-5/2017-रा.भा.ए. के द्वारा व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सुलभ संदर्भ हेतु इन परिपत्रों की प्रति पुन: संलग्न हैं।

समिति द्वारा कभी भी किसी कार्यालय का राजभाषाई निरीक्षण किया जा सकता है। अत: मंत्रालय के दोनों विभागों के विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने अंतर्गत आने वाले सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कार्यालयों तथा निकायों से अनुरोध करें कि वे इस मंत्रालय द्वारा इस विषय पर जारी सभी आदेशों/अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही, समिति द्वारा निर्धारित प्रश्नावली (www.rajbhashasamiti.gov.in पर उपलब्ध) की सभी मदों पर सूचना अद्यतन (update) रखें।

(सुखबीर सिंह संधु)
अपर सचिव, भारत सरकार

वितरण:

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दोनों विभागों के सभी विभागाध्यक्ष।

प्रतिलिपि:

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दोनों विभागों के अंतर्गत आने वाले सभी सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कार्यालयों तथा निकायों के प्रमुख।
2. सीएमआईएस यूनिट - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
3. गार्ड फाइल।

हिन्दी भाषाधिकारी